



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-50/2023-24

सरकार

बनाम्

प्रकाश कापरी

—: आदेश :—

दिनांक 30/11/24

विपक्षी की ओर से आवेदन दिया गया है कि ट्रैक्टर निबंधन सं०—JH17S-9899 के स्थान पर गलती से JH04S-9899 अंकित हो गया है। उन्होंने गाड़ी का निबंधन सं० सुधार हेतु अनुरोध किया है। इस सम्बंध में पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के ज्ञापांक—282/अप०शा०, दिनांक—25.01.2024 से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया है कि जप्त ट्रैक्टर के विरुद्ध राजसात की कार्रवाई हेतु भेजे गये प्रस्ताव में टंकण भूल वश ट्रैक्टर निबंधन सं०—JH04S-9899 अंकित हो गया है जबकि काण्ड में जप्त ट्रैक्टर का सही निबंधन सं०—JH17S-9899 है।

अतः पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन के आलोक में जहाँ—जहाँ निबंधन सं०—JH04S-9899 अंकित है, वहाँ—वहाँ निबंधन सं०—JH17S-9899 पढ़ा एवं लिखा जाय। आदेश की प्रति सभी संबंधित को दें।

लेखापित

उपायुक्त,
गोड्डा।